

I/3102326/2024

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 25/2024

No. 2015/ACII/20/App.III/e 3357386

New Delhi, dated: 09.08.2024

**Principal Financial Advisor
All Zonal Railways & PUs**

**Sub: Unification of supervisory posts of Accounts department-
Posting of Appendix:3 qualified staffs as SSO(A), SSO(TI) &
SSO(SI).**

Attention is invited to Railway Board's letter no. A(E)/A3/2023/10/2 dated 21.08.2023 (RBA No.27/2023) vide which ACS/282-IREM,Vol-I regarding unification of three streams of Sr.SO(A/cs) , Sr.TIA & Sr.ISA was issued. Accordingly posting of the Appendix III IREM qualified staff shall be done as Sr. SO/Accounts, Sr. SO/Traffic Inspection and Sr. SO/Stores Inspection.

The result of Appendix III Examination held on 18th and 19th June, 2024 has been declared. Zonal Railways should decide the posting of the Appendix III IREM qualified candidates duly considering the guidelines contained in the aforementioned ACS/282, vacancy position in the three streams and the administrative interest.

Signed by

Basant Kumar Singh

Date: 09-08-2024 12:01:15

**(Basant K. Singh)
Pr.Executive Director(Accounts)
Railway Board**

2015/एसीII/20/एप.3/ई

आई/3102326/2024

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

आरबीए सं. 25/2024

सं.2015/एसीII/20/एप.III/ई 3357386

नई दिल्ली, दिनांक: 09.08.2024

प्रधान वित्त सलाहकार

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: लेखा विभाग के पर्यवेक्षी पदों का एकीकरण - एपेंडिक्स:3 अर्हक कार्मिकों की वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (टीआई) और वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (एसआई) के रूप में की तैनाती।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.08.2023 के पत्र सं. ए(ई)/ए3/2023/10/2 (आरबीए सं. 27/2023) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), वरिष्ठ स्टेशन लेखा का यात्री निरीक्षण और वरिष्ठ भंडार लेखा निरीक्षण की तीन शाखाओं के एकीकरण संबंधी अग्रिम शुद्धि पर्ची/282-आईआरएम, जिल्द-I जारी की गई थी। तदनुसार, एपेंडिक्स III भारतीय रेल स्थापना नियमावली अर्हक कार्मिकों की तैनाती वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/लेखा, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/यातायात निरीक्षण तथा वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/भंडार निरीक्षण के रूप में की जाए।

दिनांक 18 तथा 19 जून 2024 को आयोजित परिशिष्ट III परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। क्षेत्रीय रेलों को ऊपर उल्लिखित अग्रिम शुद्धि पर्ची/282 में अंतर्निहित दिशानिदेशों, तीनों शाखाओं में रिक्तियों की स्थिति तथा प्रशासनिक हित पर विधिवत् विचार करते हुए एपेंडिक्स III भारतीय रेल स्थापना संहिता अर्हक कार्मिकों की तैनाती का निर्णय करना चाहिए।



(बसंत के. सिंह)

प्रधान कार्यपालक निदेशक (लेखा)

रेलवे बोर्ड